न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 34/2015

अपीलान्ट्स

1. कानदास पुत्र स्व0 नारायणदास जाति साद,
2. रामदास पुत्र स्व0 नारायणदास जाति साद,
3. श्रीमती सुन्दरी देवी पत्नी स्व0 नारायणदास जाति साद,
   सभी निवासी ग्राम कालीजाल, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश शुद्धि पत्र संख्या 2 ग्राम कालीजाल तहसील लूणी जिसके द्वारा ग्राम कालीजाल के भूमि खसरा नं0 359, 462, 194, 18 कुल रकबा 144.01 बीघा के नामान्तरकरण संख्या 205 को रद्द कर अपीलार्थीगण का नाम खातेदारी से हटा दिया गया।

— — —

उपस्थिति :

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री एल आर पूनिया।
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से तहसीलदार लूणी।

—: आदेश :— **दिनांक :—** 19.07.2018

अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश शुद्धि पत्र संख्या 2 ग्राम कालीजाल तहसील लूणी जिसके द्वारा ग्राम कालीजाल के भूमि खसरा नं0 359, 462, 194, 18 कुल रकबा 144.01 बीघा के नामान्तरकरण संख्या 205 को रद्द कर अपीलार्थीगण का नाम खातेदारी से हटा दिया गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कालीजाल तहसील जोधपुर वर्तमान तहसील लूणी के खसरा नं0 359 रकबा 9.05 बीघा, खसरा नं0 462 रकबा 16.01 बीघा, खसरा नं0 194 रकबा 66.09 बीघा, खसरा नं0 18 रकबा 52.06 बीघा कुल 144.01 बीघा भूमि अपीलार्थीगण के पिता/पति स्वर्गीय नारायणदास पुत्र बस्तीराम डोलीदार की खुद काश्त खातेदारी की जागीरकाल से चली आ रही है। तथा डोलीदार खातेदार कहलाता है।

ग्राम कालीजाल का सेटलमेण्ट संवत् 2012 में हुआ था जिसकी खतौनी बंदोबस्त में उपरोक्त भूमि डोलीदारान के खुदकाश्त की होने से उनको डोलीदारान की श्रेणी में दर्ज किया गया है। तथा डोली के जागीर भूमियों का अधिकरण दिनांक 01.07.1963 को हुआ। तथा मिसल संख्या 108 की पालना में खतौनी संवत् 2023 से 2026 तैयार की तथा उक्त भूमि का स्वर्गीय नारायणदास पुत्र बस्तीराम को खातेदार दर्ज किया। जिसकी टिप्पणी उक्त खतौनी के विशेष विवरण में दर्ज है।

तहसीलदार लूणी ने अपीलार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि को नामान्तरकरण संख्या 205 के द्वारा डोली बनाम मंदिर श्री रघुनाथजी महाराज वाके देह का नाम हटाना मानकर अपीलाधीन शुद्धिकरण संख्या 2 कर दिया। इस से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से तहसीलदार जोधपुर ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अपीलाधीन आदेश से संबंधित मूल रेकर्ड तहसीलदार लूणी से तलब किया गया। तहसीलदार लूणी ने अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो झंवर को इस न्यायालय में दिनांक 06.12.2016 को उपस्थित होने हेतु भेजा। अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो द्वारा उक्त रेकर्ड इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन किया गया। जीर्ण अवस्था में होने के कारण पत्रावली पर रखा जाना संभव नहीं था। और प्रस्तुत रेकर्ड का सत्यापन अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो झंवर से करवाया गया जिसकी टिप्पणी प्रमाणित प्रतिलिपि पर उपलब्ध है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री एल आर पूनिया ने अपनी बहस शुरू करते हुए कथन किया कि ग्राम कालीजाल तहसील जोधपुर वर्तमान तहसील लूणी के खसरा नं0 359 रकबा 9.05 बीघा, खसरा नं0 462 रकबा 16.01 बीघा, खसरा नं0 194 रकबा 66.09 बीघा, खसरा नं0 18 रकबा 52.06 बीघा कुल 144.01 बीघा भूमि अपीलार्थीगण के पिता/पति स्वर्गीय नारायणदास पुत्र बस्तीराम डोलीदार की खुद काश्त खातेदारी की जागीरकाल से चली आ रही है। तथा डोलीदार खातेदार कहलाता है।

ग्राम कालीजाल का सेटलमेण्ट संवत् 2012 में हुआ था जिसकी खतौनी बंदोबस्त में उपरोक्त भूमि डोलीदारान के खुदकाश्त की होने से उनको डोलीदारान की श्रेणी में दर्ज किया गया है। तथा डोली के जागीर भूमियों का अधिकरण दिनांक 01.07.1963 को हुआ। तथा मिसल संख्या 108 की पालना में खतौनी संवत् 2023 से 2026 तैयार की तथा उक्त भूमि का स्वर्गीय नारायणदास पुत्र बस्तीराम को खातेदार दर्ज किया। जिसकी टिप्पणी उक्त खतौनी के विशेष विवरण में दर्ज है।

तहसीलदार लूणी ने अपीलार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि को नामान्तरकरण संख्या 205 के द्वारा डोली बनाम मंदिर श्री रघुनाथजी महाराज वाके देह का नाम हटाना मानकर अपीलाधीन शुद्धिकरण संख्या 2 के मिसल संख्या 108 का हवाला देकर दिनांक 14.05.1992 को अपीलार्थीगण व खातेदारान को सुनवाई व सूचना का मौका दिये बिना ही अपीलार्थीगण को खातेदारी से नाम हटा दिया। जो प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धांतो के खिलाफ के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अपीलाधीन कार्यवाही बिना किसी विधिक आदेश से की गई है जो शून्य है। राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करने व हटाने की अपनी प्रक्रिया है तथा जिसमें सक्षम न्यायालय के आदेश से ही किसी खातेदार का नाम विलोपित किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकरण में किसी भी सक्षम न्यायालय का आदेश नहीं था लेकिन तहसीलदार लूणी ने अपने स्तर से ही खातेदारों के नाम विलोपित कर दिये जो विधि विरूद्ध है। उक्त भूमि राजस्थान भूमि

सुधार एवं जागीर अधिग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने से पूर्व ही डोलीदारान खातेदारान की खुदकाश्त खातेदारी की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि कभी भी मंदिर की खुदकाश्त की भूमि दर्ज नहीं रही है। इस प्रकार अपीलाधीन शुद्धिपत्र राजस्व अभिलेख की अनदेखी कर पारित किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य बताया है।

रेस्पोडेन्ट की ओर से तहसीलदार लूणी ने अवगत कराया की विवादग्रस्त भूमि खतौनी बंदोबस्त ग्राम कालीजार संवत् 2011 से 2030 तक के कॉलम संख्या 3 में डोली बनाम मंदिर श्री रघुनाथजी महाराज वाके देह बएतनाम पुजारी नारायणदास वल्द बस्तीराम कौम साद सा. देह डोलीदार अंकित है। लेकिन ग्राम कालीजाल खतौनी संवत् 2008 भी उपरोक्तानुसार मंदिर डोली की भूमि दर्ज है। ग्राम कालीजाल की जमाबन्दी 2023 से 2026 में उक्त विवादग्रस्त भूमि नारायणदास पुत्र बस्तीराम कौम साद सा. देह खातेदार किस आदेश से उल्लेख किया गया है, उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उक्त भूमि डोली बनाम मंदिर श्रीरघुनाथजी महाराज के नाम से दर्ज है।

अपीलान्ट अभिभाषक एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि ग्राम कालीजाल के खसरा नं0 359 रकबा 9.05 बीघा, खसना नं0 462 रकबा 16.01 बीघा व खसरा नं0 194 रकबा 66.09 बीघा व खसना नं0 18 रकबा 52.06 बीघा कुल 144.01 बीघा भूमि खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2030 के अनुसार डोली बनाम मन्दिर श्रीरघुनाथजी महाराज सा देह बएतनाम पुजारी नारायणदास पुत्र बस्तीराम कौम साद सा देह डोलीदार के नाम दर्ज थी।

नामान्तरकरण संख्या 205 के अनुसार नारायणदास पुत्र बस्तीराम कौम साद का देहान्त हो जाने के कारण अपीलान्टगण के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ। पूर्व में यह विवादग्रस्त भूमि डोली बनाम मन्दिर श्रीरघुनाथजी महाराज के नाम दर्ज थी। और पुजारी के रूप में नारायणदास पुत्र बस्तीराम का नाम दर्ज है। राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक :– प03(2)राज–6/07/19 दिनांक 25.11.2011 के अनुसार यदि किसी मामले में बिना किसी विधिक आदेश के खातेदारी अंकन का रिकार्ड तैयारी के समय विलोपन कर दिया हो तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अंकन दुरूस्त करने की श्रेणी में आते है। इस प्रकरण में भी खतौनी बंदोबस्त के समय यह भूमि डोली बनाम मन्दिर श्रीरघुनाथजी महाराज के नाम से चली आ रही थी। और नारायणदास पुत्र बस्तीराम कौम साद पुजारी के रूप में दर्ज किया गया लेकिन ग्राम कालीजाल के जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 तक में डोली मन्दिर श्रीरघुनाथजी महाराज का नाम हटाकर पुजारी नारायणदास पुत्र बस्तीराम कौम साद के नाम दर्ज कर दिया जो बिना किसी विधिक आदेश से किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मन्दिर डोली भूमि से संबंधित सिविल स्पेशल अपील कुल 36 प्रकरणों में वृहत् पीठ द्वारा दिनांक 15.07.2015 को दिये गये निर्णय अनुसार जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के तहत् दिनांक 16.02.1952 को राजस्व रेकर्ड में डोली बनाम मन्दिर की भूमि दर्ज है तो उसमें किसी प्रकार का कोई

परिवर्तन नहीं किया जायेगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 के द्वारा प्रश्न संख्या 2 तथा उसका उत्तर निम्न प्रकार दिया गया है।

Question No.(ii).-What are the rights of the Hindu Idol (deity) in the lands held by them in the name of its Shebaits/Pujari on the date of resumption of such Jagir, under the provisions of the Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagir Act, 1952?

Answer. In view of the above, we answer the question no.(ii) in favour of the State and against the persons claiming land for Hindu idol (deity) as Dolidar or Muafidar. The Hindu Idol (deity) in the lands held by them in the name of its Shebait/Pujari on the date of resumption of such Jagir under the provisions of the Jagirs Act of 1952 did not have any rights except in khudkasht land cultivated by Shebait/Pujari either by themselves or by hired labour or servant engaged by them for the benefit of the expenses of the temple including sewa puja. All those lands let out by them to the tenants or sub-tenants were resumed by the Jagirs Act of 1952 and that the Hindu idol (deity) lost all the rights in such jagir lands.

उक्त प्रकरण में मुतनाजा भूमि खसरा नं0 359, 462, 194 व 18 कुल रकबा 144.01 बीघा संवत् 2011–2030 ग्राम कालीजाल के खतौनी बन्दोबस्त में डोली बनाम मन्दिर श्रीरघुनाथ जी महाराज बएतमाम पुजारी नारायणराम पुत्र बस्तीराम कौम साद सादेह के नाम से दर्ज है, उक्त डोली मन्दिर की है न कि पुजारी स्वयं स्वतंत्र डोलीदार है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के संदर्भ में डोली भूमि में पुजारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस प्रकरण में ग्राम कालीजाल की विवादग्रस्त भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री रघुनाथजी महाराज बएतमाम पुजारी नारायणदास राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इस प्रकार डोली मन्दिर की भूमि देवता के नाम ही रहेगी। पुजारी एक सेवक के रूप में इस मन्दिर की पूजा अर्चना का कार्य करते है, इससे इनको किसी प्रकार का खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

<u>आदेश</u>

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का शुद्धिपत्र आदेश दिनांक 14.05.1992 को बहाल रखा जाता है।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 19.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर